न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र संख्या 1873/2017

1. मन्दिर मूर्ति महादेव जी जरिये पुजारी गोकलनाथ पुत्र कल्याणनाथ जाति नाथ
2. मन्दिर मूर्ति महादेव जी जरिये पुजारी घीसानाथ पुत्र कल्याणनाथ जाति नाथ
3. मन्दिर मूर्ति महादेव जी जरिये पुजारी नाथूनाथ पुत्र कल्याणनाथ जाति नाथ
4. समस्त निवासीगण घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत घटियाली जरिये सरपंच
2. ग्राम पंचायत घटियाली जरिये सचिव
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 10.05.2018

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट घटियाली तहसील सावर में पेश हुई। वादीगण जरिये पुजारी उपस्थित व प्रतिवादीगण उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार हैं–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता नम्बर 631 में दर्ज कुल किता खसरा नं. 19 कुल रकबा 7.92 हेक्ट. जो कि वादी मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी महाराज के खातेदारी के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता या सरोकार आदि नहीं है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से जबरन मिट्टी डालकर रास्ता निर्माण पर आमादा है तथा सरपंच के समाज के श्मसान स्थल के लिए नाजायज रूप से मन्दिर मूर्ति की आराजी में रास्ता निकालने पर आमादा है तथा आराजी खसरा नम्बर 1799 पर कब्जा कर नींव आदि खुदवाकर श्मासान स्थल में मिलाकर चार दीवारी बनाने पर आमादा हैं जिसके लिए प्रतिवादीगण ने जबरन खसरा नम्बर 1799 पर जे.सी.बी. लगाकर नींव खुदवा दी है। वादग्रस्त आराजी मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी महाराज की खातेदारी की आरजी है जिस पर मन्दिर मूर्ति को बेदखल कर श्मसान घाट में मिलानें का या उस पर रास्ता निर्माण करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को मन्दिर मूर्ति की भूमि से रास्ता न बनाने हेतु सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा वादी मन्दिर मूर्ति की आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबन्द किया जावें।

हमनें पत्रावली को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी 1–2 की ओर से श्री रामवतार मीणा एडवोकेट ने पावर पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी को दिनांक 1212.2017 से आज दिनांक तक जवाब हेतु मौका दिया गया किन्तु जवाब दावा पेश नहीं हुआ हैं। पत्रावली आज कैम्प कोर्ट घटियाली में पेश हुई जहां वादीगण जरिये पुजारीगण व प्रतिवादीगण कैम्प कोर्ट में हाजिर है। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैं–

वादी ने बहस के दौरान वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता नम्बर 631 में दर्ज कुल किता खसरा नं. 19 कुल रकबा 7.92 हेक्ट. जो कि वादी मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी महाराज के खातेदारी के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता या सरोकार आदि नहीं है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से जबरन मिट्टी डालकर रास्ता निर्माण पर आमादा है तथा सरपंच के समाज के श्मसान स्थल के लिए नाजायज रूप से मन्दिर मूर्ति की आराजी में रास्ता निकालने पर आमादा है तथा आराजी खसरा नम्बर 1799 पर कब्जा कर नींव आदि खुदवाकर श्मासान स्थल में मिलाकर चार दीवारी बनाने पर आमादा हैं जिसके लिए प्रतिवादीगण ने जबरन खसरा नम्बर 1799 पर जे.सी.बी. लगाकर नींव खुदवा दी है। वादग्रस्त आराजी मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी महाराज की खातेदारी की आरजी है जिस पर मन्दिर मूर्ति को बेदखल कर श्मसान घाट में मिलानें का या उस पर रास्ता निर्माण करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मीणा समाज से तालुक है जिन्होने मन्दिर मूर्ति जो कि नाबालिग है, शाश्वत है तथा मन्दिर मूर्ति कभी भी न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है, जिसकी आराजी खसरा नम्बर 1799 को मीणा समाज के श्मसान घाट में मिलाकर चारदीवारी निर्माण कर नया रास्ता कायम करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई हक अधिकार आदि नहीं हैं। प्रतिवादी 1 व 2 अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर मन्दिर मूर्ति को उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं। लिहाजा प्रतिवादीगण को मन्दिर मूर्ति की आराजी में हस्तक्षेप न करने हेतु सदैव के लिए पांबन्द किया जाने हेतु दावा स्वीकार योग्य बनता हैं। वादी ने उक्त वाद पत्र को अपने हक में सिद्ध करने के लिए निम्न दस्तावेज पेश किये हैं–

1. जमाबन्दी ग्राम घटियाली संवत् 2073–76 खाता नम्बर 631 की प्रमाणित प्रति
2. वर्तमान नक्शा ट्रेस ग्राम घटियाली

प्रतिवादीगण कैम्प कोर्ट में हाजिर है, जिन्होनें मौका स्थिति के बारें में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1799/6246 सिवायचक व खसरा नम्बर 1801 में श्मसान भूमि के लिए 0.32 हेक्ट. भूमि आवंटन हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवंटनशुदा आराजी पर ही निर्माण कार्य व रास्ता निर्माण किया गया हैं। शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अतिक्रमण हटाया जाना मजमें आम में अवगत कराया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी ग्राम घटियाली तहसील सावर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता नं. 631 में दर्ज खसरा नम्बर 1799 बाबत् वादी ने दावा पेश किया है तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट मुताबिक श्मसान भूमि हेतु आवंटन भूमि सिवायचक खसरा नम्बर 1799/6246 सिवायचक व खसरा नम्बर 1801 में श्मसान भूमि के लिए 0.32 हेक्ट. भूमि आवंटन होना रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर होता है तथा आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 1799 मन्दिर मूर्ति महादेव जी जो कि नाबालिग है, शाश्वत है, की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाने से वादी का प्रेमाफैसाई केस बनता हैं।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता नम्बर 631 में दर्ज खसरा नम्बर 1799 रकबा 1.83 हेक्ट. का स्वीकार किया जाकर वादी का दावा डिक्री किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त भूमि में वादी मन्दिर मूर्ति महादेव जी के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही वादी को उसकी आराजी से बेदखल करें और न ही चार दीवारी या रास्ता निर्माण करें। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर मजरे आम में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी